उत्तर रेलवे

कार्यालय मुख्य कारखाना प्रबन्धक,
जगाधरी वर्कशाप।

संख्या 974-ई/हित/कोविड-19/ज0व0 दिनांक- 02-07-2020

सभी अधिकारीगण,
सभी वरि0 खण्ड अभियंता,
जगाधरी वर्कशाप ।

विषय:- जगाधरी वर्कशाप, मुख्यालय छोड़ने/ ज्वाईन करने वाले कर्मचारियों के लिए दिशा निर्देश ।
संदर्भ:-1. इस कार्यालय के समसंख्यक पत्र दिनांक 12-06-2020
2. मुख्य सचिव-सह-अध्यक्ष हरियाणा राज्य कार्यकारिणी के पत्र संख्या DMC/SPO/2020/3643 दिनांक 15-06-2020

उपरोक्त विषय के संबंध में इस कार्यालय के द्वारा जारी संदर्भित पत्र (1) के द्वारा सभी को सूचित किया गया था कि कोई भी कर्मचारी अपना मुख्यालय छोडने से पहले सक्षम अधिकारी से पूर्व अनुमति लेगा । और कोई भी कर्मचारी अनाधिकृत रूप से अपना मुख्यालय छोड कर जाना पाया गया, उस कर्मचारी के विरूद्ध अनुशासन एवं अपील के तहत कार्रवाई की जायेगी।

हरियाणा प्रदेश में कोविड- 19 के केसों में अत्यधिक वृद्वि को देखते हुए मुख्य सचिव-सह-अध्यक्ष हरियाणा राज्य कार्यकारिणी के उपरोक्त संदर्भित पत्र दिनांक 15-06-2020 के द्वारा दिशा निर्देश दिये गये है कि कोई भी व्यक्ति जो किसी अन्य प्रदेश से हरियाणा में 72 घंटे (तीन दिन) से ज्यादा आकर रहेगा उनके लिए निम्नलिखित आदेश जारी किये गये है, उनमें से प्रमुख तथ्य जो कर्मचारियों से संबंधित है निम्न प्रकार है -

1. सभी कर्मचारी आरोग्य सेतु एप्प डाऊनलोड करेंगे तथा प्रतिदिन अपने स्वास्थ्य का परीक्षण करते रहेंगे । और यदि कोई कर्मचारी या उसका परिवार का कोई भी सदस्य कोविड- 19 से ग्रसित पाया गया हो तो उसकी जानकारी दें ।
2. जो भी कर्मचारी दूसरे प्रदेश से हरियाणा प्रदेश में प्रवेश करेगा वह अपने वर्तमान पत्ते पर स्वंय को सात दिन के लिए होम कोरटाईन रखेगा। इस दौरान कोविड - 19 से संबंधित कोई भी लक्षण आने पर रेलवे अस्पताल अथवा जिला सर्वेक्षण अधिकारी अथवा प्रदेश/देश के हेल्प लाईन नंबर 1075 पर सूचना देगा ।
3. यदि कोई कर्मचारी हरियाणा सरकार द्वारा जारी उपरोक्त दिशा निर्देश/प्रोटोकाल का पालन नही करेगा, उस कर्मचारी के विरूद्ध आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 की धारा 51 से 60 के प्रावधानों के अनुसार मुकदमा चलाया जा सकता है, इसके अलावा आई पी सी की धारा 188 के तहत कार्रवाई की जा सकती है।
4. सभी कर्मचारी जो दूसरे प्रदेश से हरियाणा में प्रवेश करेंगें वह कर्मचारी स्वंय को www.saralharyana.gov.in पोर्टर पर पंजीकृत करेंगें।

जगाधरी वर्कशाप में कार्यरत सभी कर्मचारियों /सुपरवाईजरों/इंचार्ज को निर्देश दिये जाते है कि हरियाणा सरकार द्वारा जारी उपरोक्त आदेशों का कठोरता से अनुपालन करें। सात दिन की आवश्यक होम क्वांरटाइन अवधि के लिए कर्मचारी को अपना स्वंय का अवकाश लेना होगा । कर्मचारी पंजीकरण के पश्चात प्राप्त आईडी नंबर अपने समय कार्यालय में जमा करायेगा । कोई भी कर्मचारी जो उपरोक्त दिशा निर्देशों का पालन नही करेगा, उस कर्मचारी के विरूद्ध हरियाणा सरकार के द्वारा की गई कानुनी कार्यवाही के अलावा, अनुशासन एवं अपील नियम के तहत विभागीय कार्रवाई भी की जायेगी।

2/7/2020

कृते मुख्य कारखाना प्रबन्धक,
जगाधरी वर्कशाप ।

प्रतिलिपि - सूचना एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु

1. सचिव एनआरएमयू (यांत्रिक एवं विधुत शाखा) - जगाधरी एवं कालका वर्कशाप ।
2. सचिव यूआरएमयू (यांत्रिक एवं सामान्य शाखा) -जगाधरी एवं कालका वर्कशाप ।
3. सचिव एससी/एसटी एवं ओबीसी एसोसियेशन -जगाधरी एवं कालका वर्कशाप ।
4. सभी मुख्य कार्यालय अधीक्षक/इंचार्ज - जगाधरी एवं कालका वर्कशाप ।

Scanned with CamScanner